भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 136
02 फरवरी, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय आरोग्य निधि

136. श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) लागू करने में सफल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ग) उक्त योजना के अंतर्गत शामिल बीमारियों के नाम क्या हैं और उसमें सूचीबद्ध अस्पतालों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या देश में केवल कुछ ही बीमारियों को आरएएन के तहत शामिल किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या अस्पतालों/चिकित्सा संस्थानों को प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता देश में बड़ी बीमारी से पीड़ित बीपीएल व्यक्तियों की मांगों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (डॉ. भारती प्रविण पवार)

(क) से (च): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) की अंब्रेला स्कीम के तहत जीवनघातक चिन्हित बीमारियों/कैंसर से पीड़ित और सरकारी अस्पतालों/संस्थानों में उपचार प्राप्त कर रहे गरीब रोगियों (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले) के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

आरएएन के तहत आने वाली बीमारियों के नाम दिनांक 01.02.2019 के आरएएन दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-II में दर्शाए गए हैं। ये दिशानिर्देश https://main.mohfw.gov.in/Major-Programmes/poor- patients-financial-assistance/rashtriya-arogya-nidhi पर उपलब्ध हैं। सुपर स्पेशियलिटी सुविधाओं वाले किसी भी सरकारी अस्पताल/संस्थान में उपचार कराने वाले गरीब मरीज आरएएन के तहत वित्तीय सहायता के पात्र हैं।

एक तकनीकी समिति है जो आरएएन के तहत आने वाली बीमारियों को सूचीबद्ध करने में सरकार को सलाह देती है। इसके अतिरिक्त, दिशानिर्देशों के अनुसार, किसी भी जीवन रक्षक प्रक्रिया/किसी अन्य बड़ी बीमारी/उपचार/इंटरवेंशन जो आरएएन के किसी भी घटक के तहत कवर नहीं किया गया हो, उस पर तकनीकी समिति द्वारा अनुशंसित होने पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जा सकता है।

आरएएन की अंब्रेला स्कीम के तीन घटकों के तहत चिन्हित जीवनघातक बीमारियों/कैंसर/दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित गरीब रोगियों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों/संस्थानों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली अधिकतम वित्तीय सहायता दी गई हैं: (i) राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आरएएन) -कैंसर के अलावा अन्य जीवनघातक बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए 15 लाख रुपये; (ii) स्वास्थ्य मंत्री का कैंसर रोगी कोष (एचएमसीपीएफ) - कैंसर से पीड़ित रोगियों के लिए 15 लाख रुपये और (iii) दुर्लभ रोग - विनिर्दिष्ट दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के लिए 20 लाख रुपये।

******